दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

नियम समिति
Rules Committee

दूसरा प्रतिवेदन
Second Report

दिनांक 30 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत
Presented On 30th August, 2011

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

नियम समिति

समिति का गठन :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद
1.	डॉ. योगानन्द शास्त्री	सभापति
2.	श्री कंवर करण सिंह	सदस्य
3.	श्री मुकेश शर्मा	सदस्य
4.	श्रीमती बरखा सिंह	सदस्य
5.	श्री नसीब सिंह	सदस्य
6.	डॉ. जगदीश मुखी	सदस्य
7.	श्री रवीन्द्रनाथ बंसल	सदस्य
8.	श्री सुनील कुमार वैद्य	सदस्य
9.	श्री रामसिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी.एन. मिश्रा	सचिव
2.	श्री अजीजुद्दीन अहमद	उप सचिव
3.	श्री लाल मणी	उप सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन

नियम समिति की बैठक मंगलवार,दिनांक 23 अगस्त,2011 को अपराहन 4.00 बजे अध्यक्ष महोदय के कक्ष,पुराना सचिवालय,दिल्ली में सम्पन्न हुई।

सचिव,विधान सभा ने बताया कि सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिश पर तीन नई समितियों - 1. **आचरण समिति** 2. **अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति** और 3. **अल्पसंख्यक कल्याण समिति** का गठन किया गया। इन समितियों की बैठकों के दौरान इनके नियम एवं अन्य कार्य कार्यकलापों का निर्धारण भी संबंधित समितियों द्वारा कर दिया गया है। नियम समिति की स्वीकृति के बाद इन नियमों को नियम पुस्तिका का हिस्सा बनाया जाएगा।

समिति को तीनों नवगठित समितियों के नियमों एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया, जिसमें समिति ने अपनी सहमति व्यक्त की। तीनों समितियों के नियमों की प्रति संलग्न है।

माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ बंसल ने आचरण समिति के निश्चित कार्यों के भाग-II में निम्नानुसार संशोधन करने का अनुरोध किया:-

II. किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायतों तथा मामलों की जांच करना, जो इसको सदन अथवा माननीय अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं तथा ऐसी सिफारिशें करना,जो वह उचित समझें।

समिति ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

समिति ने श्री कंवर करण सिंह एवं उनकी अनुपस्थिति में डॉ. जगदीश मुखी को समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

दिल्ली
दिनांक:26 अगस्त, 2011

(डॉ.योगानन्द शास्त्री)
अध्यक्ष एवं सभापति

Delhi Legislative Assembly Secretariat
Old Secretariat, Delhi-110054

Second Report of Rules Committee

Meeting of the Rules Committee was held on 23 August, 2011 at 4:00 PM in the chamber of Hon'ble Speaker, Old Secretariat, Delhi.

Secretary, Delhi Legislative Assembly informed that on the recommendation of the General Purposes Committee; three new committees i.e. (1) Committee on Ethics, (2) Committee on Welfare of other Backward Classes, (3) Committee on Welfare of Minorities were constituted. The Rules and other functions of these committees have also been finalized by the committees concerned during their meetings. These Rules shall be included in the Rule Book after the approval of Rules Committee. The Committee was apprised about the Rules and functions of all the three newly constituted committees which were therefore, approved by the Rules Committee. Copy of the Rules of all the three committees is enclosed herewith.

Hon'ble Member, Shri Ravinder Nath Bansal requested to make the following amendment in the part-II of the functions of Ethics Committee:

II. to examine the complaints and matters relating to the unethical behaviour of a Member, referred to it by the House or by the Hon'ble Speaker and make such recommendations as may be deemed fit by it.

The Committee gave its assent to the proposal.

The Committee authorized Shri Kanwar Karan Singh and in his absence, Dr. Jagdish Mukhi to present its report in the House.

(Dr. Yoganand Shastri)
Speaker & Chairman

Delhi
Dated: 26th August, 2011.

(ध) आचरण समिति

235-क अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्यों की आचरण समिति होगी।

परंतु कोई मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के पश्चात मंत्री नियुक्त होते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

235-ख समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:

(i) सदस्यों के सदाचार एवं नैतिक आचरण का निरीक्षण करना।

(ii) किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायतों तथा मामलों की जांच करना, जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा इसको सौंपे जाएं तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो यह उचित समझे।

(iii) नियम बनाकर ऐसे कार्यों का विशेषोल्लेख करना, जो अनैतिक आचरण के अंतर्गत आते हैं,

235- ग सदस्यों के अनैतिक व्यवहार से संबंधित मामलों सहित, आचरण से जुड़े मामलों को स्व-विवेकानुसार जांच हेतु लेना, यदि आवश्यक समझे तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो यह उचित समझे।

235-घ समिति अपनी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सदन द्वारा अपनाई जाने वाली कार्याविधि का अपने प्रतिवेदन में उल्लेख कर सकती है।

235-ञ आचरण समिति की कार्यविधि

(i) समिति को सौंपे गए या इसके द्वारा स्वविवेकानुसार लिए गए मामलों पर प्राथमिक जांच करेगी

(ii) यदि प्राथमिक जांच के पश्चात समिति को यह लगता है कि प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता तो मामले को छोड़ा जा सकता है।

(iii) यदि समिति को यह लगता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो समिति मामले की जांच हेतु लेगी।

(iv) समिति को सौंपे गए मामलों की जांच हेतु समय-समय पर कार्यविधि भी निश्चित कर सकती है।

(S) COMMITTEE ON ETHICS

235 A Constitution of the Committee:

There shall be a Committee on Ethics consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker;

Provided that a Minister shall not be nominated as member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointer a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date so such appointment.

235 B Functions of the Committee:

The functions of the Committee shall be:

(i) to oversee the moral and ethical conduct of members

(ii) to examine every complaint relating to unethical conduct of a member referred to it by the House or the Speaker and make such recommendations as it may deem fit.

(iii) to frame Code of Conduct specifying acts which constitute unethical conduct.

235 C The Committee may also suo moto take up for examination and investigation matters relating to ethics, including matters relating to unethical conduct by members wherever felt necessary and make such recommendations as it may deem fit.

235 D The report of the Committee may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations make by the Committee.

235 E Procedure in the Committee:

(i) On a matter being referred to the Committee or on a matter being taken up by the Committee suo motu, the Committee shall conduct preliminary inquiry.

(ii) After the preliminary inquiry, if the Committee is of the opinion that there is no prima facie case, the matter may be dropped.

(iv) If the Committee is of the opinion that there is a prima facie case, Committee shall take up the matter.

(iv) The Committee may lay down procedure, from time to time for examination of matters referred to it.

(न) अल्पसंख्यक कल्याण समिति

235 कक : समिति का गठन :

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक कल्याण समिति होगी, जिसके सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी :

> परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

235 खख : समिति के कार्य

समिति के कार्य :

(i) अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों, अन्य सुधारात्मक उपायों तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और सरकार द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को सूचित करना।

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करना।

(iii) इन वर्गों की दशा में न्यूनतम संभावित समय में सुधार लाने के लिए सरकार की नीति के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु तौर-तरीकों को सुझाना।

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सुझाए गए अथवा ऐसे मामलों की जांच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

235 गग : अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में, समिति प्रत्येक विभाग से मासिक जानकारी प्राप्त करेगी तथा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

(T) COMMITTEE ON THE WELFARE OF MINORITIES

235 AA Constitution of the Committee:

There shall be a Committee on the Welfare of Minorities nominated by the Speaker consisting of not more than nine members;

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date so such appointment.

235 BB Functions of the Committee:

The functions of the Committee shall be:

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures as also constitutional safeguards for minorities and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

(ii) to examine measures taken by the Government for the implementation of 15 points progremme of the Prime Minister for the welfare of minorities;

(iii) to suggest ways and means of realizing the objective of Government policy to bring about improvement in the condition of these classes in the shortest possible time;

(iv) to examine such measures as the Committee may deem fit or are specially referred to it by the House or the Speaker;

235 CC The Committee shall obtain monthly information from each department of the Government about measures taken for the welfare of the Minorities and hold quarterly meetings to examine the reports;

(प) अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

235 ककक : समिति का गठन :

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्य होंगे

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्यों के रूप में नामित नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य, समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरांत मंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

235 खखख : समिति के कार्य :

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:

(i) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों एवं अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना, तथा समीक्षातर्गत मामलों के संबध में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को प्रतिवेदन करना,

(ii) सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ सेवाओं एवं पदों में अन्य पिछड़ा वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपयों की जांच करना,

(iii) इन वर्गों की दशा में न्यूनतम संभावित समय में सुधार के लिए सरकारी नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपाय और साधन सुझाना,

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सुझाए गए अथवा ऐसे मामलों की जांच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएं,

235 गगग समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा किए गए कार्यों की मासिक जानकारी प्राप्त करेगी तथा प्रतिवेदनों की जांच हेतु त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगी,

(U) COMMITTEE ON THE WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

235 AAA Constitution of the Committee:

There shall be a Committee on the Welfare of Other Backward Classes nominated by the Speaker consisting of not more than nine members;

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee, is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date so such appointment.

235 BBB The functions of the Committee shall be:

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Other Backward Classes and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

(ii) to examine measures taken by the Government to secure due representation of the Other Backward Classes, nominated in services and posts under its control;

(iii) to suggest ways and means of realizing the objective of Government policy to bring about improvement in the condition of these classes in the shortest possible time;

(iv) to examine such measures as the Committee may deem fit or are specially referred to it by the House or the Speaker;

235 CCC The Committee shall obtain monthly information from each department of the Government about measures taken for the welfare of the Other Backward Classes and hold quarterly meetings to examine the reports;